धर्मेन्द्र गोयल

बनाम

ओरिएंटल बीमा कंपनी लिमिटेड।

(2008 की सिविल अपील सं. 4720/2008

30 जुलाई, 2008

(माननीय अल्तमास कबीर और माननीय हरजीत सिंह बैदी, न्यायाधिपति महोदय)

उपभोक्ता संरक्षण अधियम, 1986-बीमा दावा- 13.02.2002 से 12.03.2003 तक 3,54,000/- रूपये की राशि का वाहन की बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण-बीमा अवधि के दौरान दुर्घटना सर्विस द्वारा मरम्मत के लिए 3,37,246.56/- रूपये का अनुमान यद्यपि, बीमा कंपनी के सर्वेयर ने वाहन की कुल क्षति के आधार पर वाहन का मूल्य 1,80,000/- आंकलन किया- अतिरिक्त शुल्क के साथ 3,37,246.59/- रूपये का दावा-जिला मंच द्वारा खारिज-राज्य आयोग द्वारा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 1,04,043/- रूपये का पंचाट- यद्यपि, राष्ट्रीय आयोग ने 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 1,80,000/- रूपये का पंचाट पारित किया- अपील में अभिनिर्धारित हुआ: बीमा कम्पनी ने 13.02.2002 को वाहन का मूल्य 3,54,000/- रूपये स्वीकार किया इसलिए वह इससे बाध्य थी- वह यह

दावा नहीं कर सकती है कि दुर्घटना की तारीख पर कुल नुकसान के आधार पर वाहन का मूल्य केवल 1,80,000/- रूपये ही था- बीमा के नवीनीकरण की तारीख को 354000/- रूपये से दुर्घटना की तारीख को 180000/- तक वाहन का मूल्यहास नहीं हो सकता-यद्यपि, उक्त अवधि के दौरान कुछ मूल्यहास के कारण वाहन के मूल्य 10000/- की कमी की गयी-दावेदार को 344000/- रूपये की राशि का भुगतान किया जावे।

अपीलार्थी ने 430000/- रूपये में एक नया वाहन खरीदा। दिनांक 19.01.2000 को यह वाह प्रत्युत्तरदाता बीमा कम्पनी द्वारा उक्त राशि हेतु व्यापक/विस्तृत बीमित किया गया। बीमा पॉलिसी के समाप्त होने के बाद 19.01.2001 को इस पॉलिसी का 359000/- हेतु पनुः नवीनीकरण किया गया। इसके आगे 13.02.2002 को 12.03.2003 तक आंकलित मूल्य 354000/- रूपये हेतु पुनः नवीनीकरण किया गया। वाहन की 10.09.2002 को दुर्घटना हुई। सर्विस स्टेशन ने वाहन मरम्मत करने का पूर्वानुमान 3,37,246.59/- प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने कुछ अतिरिक्त शुल्क के साथ 337246.59/- रूपये का दावा पेश किया। यद्यपि, प्रत्युत्तरदाता द्वारा नियुक्त सर्वेयर ने कुल क्षति 180000/- रूपये आकी। अपीलार्थी ने अतिरिक्त शुल्क सहित 3,37,246.59/- रूपये की राशि चाहते हुए जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष शिकायत/परिवाद पेश किया। जिला मंच ने परिवाद खारिज किया। अपील में, राज्य आयोग ने प्रत्युत्तरदाता को निर्देशित किया कि वह अपीलार्थी को 1,04,043/- रूपये का परिवाद पेश

करने से भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक की दर सहित भुगतान करे। अपीलार्थी ने 354000/- रूपये के प्रतिकर बाबत पुनरीक्षण याचिका दायर की। राष्ट्रीय आयोग ने 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ 180000/- रूपये प्रतिकर दिया। इसीलिए यह अपील प्रस्तुत हुई। न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया और अभिनिर्धारित किया:-

1.1 दिनांक 13.02.2002 को 8498/- रूपये का प्रीमियम लेकर वाहन का 354000/- रूपये का बीमा किया गया था और बीमा अवधि के वैध रहते हुए दिनांक 10.09.2002 के दुर्घटना हुई थी। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि कम्पनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर द्वारा वाहन पूर्णतया क्षतिग्रस्त घोषित किया गया था, हालांकि वाहन की पूर्णतया क्षति के आधार पर वाहन का मूल्य 1,80,000/- रूपये आंका गया था। चूंकि स्वयं कम्पनी ने 13.02.2002 को वाहन का मूल्य 3,54,000/- रूपये होना स्वीकारा था अतः वह यह दावा नहीं कर सकती कि वाहन के दुर्घटना ग्रस्त होने की तारीख 10.09.2002 को पूर्णतया क्षति के आधार पर वाहन का मूल्य 1,80,000/- रूपये हो गया था। कम्पनी का तर्क कि 13.02.2002 से 7 महीने के भीतर ही वाहन का मूल्यहास 3,54,000/- रूपये से 1,80,000/- रूपये हो गया था, नहीं माना जा सकता। (पैरा 6)

1.2 मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 146 वाहन मालिक पर यह बाध्यता डालती है कि वह इस अधिनियम के अध्याय 11 में विहित बीमा

पॉलिसी ले और ऐसी पॉलिसी लिये बिना वाहन चलाना इस अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत दण्डनीय है। इसीलिए यह स्पष्ट है कि कठोर प्रावधानों के प्रकाश में और बीमा कम्पनी के प्रधान स्थिति में होने के कारण बीमा कम्पनी अक्सर अतार्किक तरीके से कार्य करती है और विशिष्ट माल का बीमा मूल्य स्वीकारने के बावजूद जब उनको प्रतिकर अदा करना होता है तब उस आकड़े को एक या अन्य संदर्भ में खारिज कर देती है। यह'' ''

कारण बल्कि नैतिक रूप से भी असमर्थनीय होने के कारण स्पष्ट रूप से अनुचित है। (पैरा 6) (584 ठ.म्)

1.3 यह निवेदन/विनती कि अपीलार्थी को सर्वेयर की रिपोर्ट निचली तरफ होने बाबत सबूत/साक्ष्य पेश करना था, स्वयं कम्पनी द्वारा बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण के वक्त वाहन का मूल्य तय कर देने के प्रकाश में मानने योग्य नहीं है क्योंकि इन परिस्थितियों में कम्पनी दिनांक 13.02.2002 को बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण के वक्त वाहन के तय मूल्य से बाध्य थी। (पैरा 6) (584 क्.म्)

1.4 राष्ट्रीय आयोग के समक्ष सुनवाई के वक्त प्रतिवादी ने निवेदन/विनती किया कि अपीलार्थी ने अपना दावा 1,80,000/- रूपये तक सीमित किया है और उसको उस राशि का पंचाट होने के कारण अब वह उस आकड़े से अधिक दावा नहीं कर सकता। हालांकि राष्ट्रीय आयोग के

आदेश को पढ़ने से प्रकट होता है कि प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक दावा 3,54,000/- रूपये की राशि का था और विकल्प में 1,80,000/- रूपये का था। राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पुनरीक्षण में लिये गये आधारों से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है जहां बार-बार 3,50,000/- रूपये की राशि का दावा किया गया था। अन्यथा भी इन मामलों में न्यायालय को यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यदि अभिलेख के आधार पर प्रतिकर का कोई विशिष्ठ दावा संभव हो तो यह अत्यंत तकनीकि तर्कों के आधार पर मना/अस्वीकार नहीं करना चाहिए। (पैरा 7) (584 थ्.भ् 585 ।)

1.5 यह निवेदन/विनती कि 13.02.2002 को वाहन का बीमा 3,54,000/- रूपये का किया गया था और 7 महीने बाद (10.09.2002) को दुर्घटना हुई थी। मूल्यहास के कारण वाहन के मूल्य में कुछ कमी की जानी चाहिए और इस आधार पर प्रतिकर निर्धारित किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाता है। वाहन का मूल्य 10,000/- रूपये कम किया जाता है- अपीलार्थी को 3,44,000/- रूपये की राशि ब्याज सहित देने का निर्देश दिया गया। (पैरा 8 व 9) (585 ठ.क्)

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील संख्या 4720/2008

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली में पुनरीक्षण याचिका संख्या 2405/2004 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.04.2006 से

डी.के.सिंह, प्रदीप शुक्ला एवं अभिजीत सैन गुप्ता अपीलार्थी के लिए

ए.के. रैना एवं अनिल कुमार झां प्रत्युत्तरदाता के लिए

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधिपति हरजीत सिंह बैदी द्वारा सुनाया गया

1. अनुमति दी गयी

2. विशेष अनुमति द्वारा की गयी यह अपील निम्न तथ्यों से उत्पन्न होती है:

3. 4 जनवरी, 2000 को अपीलार्थी ने 4,30,000/- रूपये में एक नयी टाटा सुमो गाड़ी खरीदी। 19 जनवरी, 2000 को 10,436/- रूपये का प्रीमियम पर यह वाहन ऑरीएंटल बीमा कम्पनी (जिसे यहां कम्पनी कहा जाएगा) द्वारा क्रय मूल्य 4,30,000/- रूपये पर व्यापक/विस्तृत बीमा किया गया। 18 जनवरी, 2001 को पॉलिसी खत्म होने पर अगले दिन ही कम्पनी द्वारा वाहन का मूल्य 3,59,000/- रूपये आंकते हुए उक्त पॉलिसी 1 साल के लिए नवीनीकृत की गयी। यह पॉलिसी 18 जनवरी, 2002 को खत्म हो गयी थी लेकिन 13 फरवरी, 2002 से 12 मार्च, 2003 तक के लिए 8,498/- रूपये का प्रीमियम पर कम्पनी द्वारा वाहन का मूल्य 3,54,000/- रूपये आंकते हुए पॉलिसी पुनः नवीनीकृत की गयी। 10 सितम्बर, 2002 को वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिस पर अपीलार्थी ने कम्पनी को क्या घटित हुआ इस बारे में सूचित किया। यह वाहन टाटा

मोटर्स के प्राधिकृत सर्विस स्टेशन चम्बल मोटर्स कोटा राजस्थान में मरम्मत के लिए ले जाया गया। चम्बल मोटर्स ने वाहन की मरम्मत के लिए 3,37,246.59/- रूपये का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया तब अपीलार्थी ने वाहन को दुर्घटना स्थल से वर्कशॉप तक ले जाने के 4000/- रूपये के बिल के साथ दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 को 3,37,246.59/- रूपये का दावा प्रस्तुत किया। कम्पनी ने दिनांक 14 दिसम्बर, 2002 को यद्यपि एम.एन. चतुर्वेदी एसोसिएटस को नुकसान का आंकलन करके रिपोर्ट देने के लिए सर्वेयर नियुक्त किया। सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट में वाहन के कबाड़/अवशेष की कीमत 85,000/- रूपये आंकते हुए कुल क्षति 1,80,000/- रूपये निर्धारित की जबकि नकद हानि के आधार पर मूल्यांकन 1,04,433.53/- रूपये किया गया। कम्पनी ने दुर्घटना की तारीख को चालक के पास कोई वैध चालन अनुज्ञप्ति नहीं होने के तर्क के आधार पर अपीलार्थी को कोई भी राशि देने से इनकार कर दिया जिस पर अपीलार्थी ने अतिरिक्त चार्ज सहित चम्बल मोटर्स द्वारा दिये गये पूर्वानुमान की राशि 3,37,246.59/- देने की प्रार्थना करते हुए जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष परिवाद पेश किया। अभिवचनों के पूर्ण होने के पश्चात जिला मंच ने 19 जनवरी, 2004 के अपने आदेश द्वारा परिवाद इस आधार पर खारिज किया कि वाहन के चालक के पास दुर्घटना की तारीख को वैध चालन अनुज्ञप्ति थी या नहीं यह तथ्य का कठिन प्रश्न है जो केवल दीवानी न्यायालय द्वारा ही अभिनिर्धारित किया जा सकता है। इस आदेश से

व्यथित होकर अपीलार्थी ने मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयोग ने दिनांक 28 जुलाई, 2004 के अपने आदेश में अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना की तारीख को चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति थी इसलिए कम्पनी को परिवाद पेश करने की तारीख से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 1,04,043/- रूपये अपीलार्थी को देने का निर्देश दिया। राज्य आयोग द्वारा अपर्याप्त प्रतिकर से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली (जिसे यहां राष्ट्रीय आयोग कहा जाएगा) के समक्ष 3,54,000/- रूपये प्रतिकर का दावा करते हुए पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की। राष्ट्रीय आयोग ने दिनांक 20 अप्रैल, 2006 के अपने आदेश द्वारा अंशतः अपील स्वीकार करते हुए 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 1,80,000/- रूपये प्रतिकर दिलाया। दावाकर्ता इन परिस्थतियों में हमारे समक्ष इस अपील में आया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान केवल एक ही तर्क रखा है। उन्होंने निवेदन किया है कि स्वयं कम्पनी ने 13 फरवरी, 2002 से 12 मार्च, 2003 तक प्रभावी 3,54,000/- रूपये की राशि की बीमा पॉलिसी जारी की है और उस पर आधारित प्रीमियम को भी स्वीकार किया है और इसलिए अपीलार्थी को उस राशि/आकड़े से कम के लिए हकदार बताना पूर्णतया अनुचित है। उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि चम्बल मोटर्स द्वारा अपेक्षाकृत बड़ी राशि के पूर्वानुमान को देखते हुए सर्वेयर

द्वारा पूर्णतया क्षति के आधार पर अपीलार्थी को केवल 1,80,000/- रूपये मात्र का हकदार बताने के निष्कर्ष का बिल्कुल भी आधार नहीं है।

5. प्रतिवादी कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता ने इस तरफ संकेत किया है कि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यहां दिये तर्को के विपरीत, राष्ट्रीय आयोग के सामने अपनी बहस में 354000 रूपये का अपना दावा छोड़ दिया था और उसे 180000 रूपये तक ही सीमित किया था और वास्तव में/तथ्यतः यह राशि स्वीकृत भी कर दी गई थी। इस प्रकार इससे आगे की राशि का दावा अनुचित है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थी ने अपने दावे के समर्थन में सर्वेयर द्वारा बताये गये वाहन के मूल्य को चुनौती देने के लिये कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं सावधानी से अभिलेख का अवलोकन किया। उपर बताये गये तथ्य विवादित नहीं है। स्वीकृत रूप से 13.02.2002 को 8498 रूपये के प्रीमियम पर वाहन को 354000 रूपये हेतु बीमित कराने के लिये ली गई पॉलिसी के वैध रहते हुए दुर्घटना दिनांक 10 सितम्बर 2002 को हुई। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि कम्पनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर द्वारा वाहन पूर्णतया क्षतिग्रस्त घोषित किया गया। यद्यपि पूर्णतया क्षति के आधार पर वाहन का मूल्य 180000 रूपये आंका गया। इन परिस्थितियों में हम इस राय पर पहुंचे है कि खुद कम्पनी ने 13 फरवरी 2002 को वाहन का मूल्य 354000 रूपये होना

स्वीकारा है, अब वह यह दावा नहीं कर सकती कि 10 सितम्बर 2002 अर्थात दुर्घटना की तारीख को पूर्णतया क्षति के आधार पर वाहन का मूल्य मात्र 180000 रूपये था। इस बात की पुनरावृति की आवश्यकता नहीं है कि नये वाहन की कीमत 430000 रूपये थी और यह इस राशि बाबत 19 जनवरी 2000 को बीमित किया गया था और 18 जनवरी 2001 को इस पॉलिसी के समाप्त होने के पश्चात 19 जनवरी 2001 को 359000 रूपये के लिये पॉलिसी पुनः नवीनीकृत की गई थी। इसके आगे 13 फरवरी 2002 को वापस पॉलिसी नवीनीकरण के वक्त वाहन का मूल्य 5000 रूपये घटाकर 354000 रूपये किया गया था। इसलिये हम कम्पनी का यह तर्क मानने में समर्थ नहीं है कि 13 फरवरी 2002 से दुर्घटना की तारीख तक केवल 7 माह की अवधि में वाहन का मूल्य ह्रास 354000 से 180000 रूपये हो गया हो। दिमाग में यह बात भी रखनी होगी कि धारा 146 मोटरयान अधिनियम 1988 वाहन के मालिक पर यह बाध्यता अधिरोपित करती है कि वह अधिनियम के अध्याय 11 में विहित बीमा पॉलिसी ले और ऐसी बीमा पॉलिसी लिये बिना कोई वाहन चलाना उसकी धारा 196 के अंतर्गत दण्ड का भागी बनाती है। इसलिये कठोर प्रावधानों के प्रकाश में और बीमा कम्पनी के प्रधान भुमिका मे होने के कारण साफ है कि बीमा कम्पनियां अक्सर अतार्किक तरीके से कार्य करती है और विशिष्ट बीमित वस्तु के मूल्य को स्वीकार करने के पश्चात् जब भी प्रतिकर के भुगतान की बारी आती है तब वह उस आंकड़े को एक या अन्य संदर्भ में अस्वीकार कर

देती है। यह'' ''

दृष्टि में गलत होन के कारण बल्कि नैतिक रूप से भी असमर्थनीय होने के कारण अनुचित है। हम पॉलिसी के नवीनीकरण के वक्त खूद कम्पनी द्वारा वाहन का मूल्य रखने के प्रकाश में इस निवेदन को भी स्वीकार नहीं कर सकते कि सर्वेयर की रिपोर्ट कमतर साबित करने के लिये अपीलार्थी को साक्ष्य/सबूत पेश करना था। इस प्रकार हम इन परिस्थितियों में यह अभिनिर्धारित करते है कि 13 फरवरी 2002 को पॉलिसी के नवीनीकरण के वक्त वाहन के रखे गये मूल्य से कम्पनी बाध्य थी।

7. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने यद्यपि बहस की है कि राष्ट्रीय आयोग के समक्ष सुनवाई के वक्त अपीलार्थी ने अपना दावा मात्र 180000 रूपये तक सीमित किया था और उसे वह राशि मिल जाने के बाद अब वह उस आंकड़े/राशि से आगे का दावा नही कर सकता। यद्यपि हम राष्ट्रीय आयोग के आदेश में देखते है कि अपीलार्थी द्वारा प्राथमिक दावा 354000 रूपये का किया गया था और विकल्प में 180000 रूपये का था। यह तथ्य राष्ट्रीय आयोग के समक्ष पेश पुनरीक्षण के आधारों के अवलोकन से अधिक स्पष्ट प्रकट होता है जहां 350000 रूपये की राशि का दावा बार-बार किया गया है। इसके अलावा भी हम यह विश्वास करते है कि ऐसे मामलों में न्यायालय को यथार्थवादी/वास्तविक दृष्टिकोण लेना चाहिये और यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर कोई विशिष्ट दावा संभव हो तो

प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये अति-तकनिकी तर्को के आधार पर उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिये।

8. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में निवेदन किया है कि 13 फरवरी 2002 को वाहन 354000 रूपये के लिये बीमित किया गया था और 07 महीने बाद (10 सितम्बर 2002 को) दुर्घटना हुई है, वाहन की कीमत में कुछ मूल्य ह्रास होना स्वाभाविक है इसलिये प्रतिकर उस आधार पर अवधारित होना चाहिये। हम विद्वान अधिवक्ता की इस प्रार्थना को यह ध्यान में रखते हुए कि बीमा पॉलिसी के 07 माह बीत चुके थे स्वीकार करते है और आदेश करते है कि वाहन का मूल्य 10000 रूपये घटाया जावे।

9. इस प्रकार हम इस अपील को स्वीकार करते है और निर्देशित करते है कि अपीलार्थी को राष्ट्रीय आयोग द्वारा अवधारित तरीके से ब्याज सहित 344000 रूपये दिये जावे। अपीलार्थी को 25000 रूपये के आंकलित खर्चे भी दिलाये जावे।

अपील स्वीकार।

नोट- यह अनुवाद और्टिफिशियल इन्टेलीजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ (आर.जे.ऐसे.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।